अध्याय 3

सरकारी सेवा के लिए स्वस्थता का प्रमाण-पत्र

CERTIFICATE OF FITNESS FOR THE GOVERNMENT SERVICE

मूल नियम 10 के अन्तर्गत राज्यपाल के आदेश द्वारा बनाये गये नियम

10. जब तक कि किसी विशेष सेवा या पद में भर्ती को विनियमित (regulate) करने वाले नियमों, विनियमों (regulations) या अनुदेशों (instructions) के अन्तर्गत चिकित्सीय प्रमाण-पत्र का कोई अन्य प्रपत्र निर्धारित न किया गया हो, सरकारी सेवा के लिये स्वस्थता का प्रमाण-पत्र निम्न प्रपत्र में होगा :

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने श्री..., जो.................................विभाग में नियुक्ति के अभ्यर्थी हैं, की परीक्षा कर ली है और मैं...................के अतिरिक्त उनमें कोई (संचारी या अन्य) रोग, गठन की दुर्बलता या शारीरिक निर्बलता नहीं पा सका हूँ। मैं इसको...विभाग में नियुक्ति के लिये अयोग्यता नहीं समझता।

अभ्यर्थी की आयु उसके/उनके कथनानुसार..वर्ष है, तथा देखने से ....वर्ष।

टिप्पणी

जब कोई अभ्यर्थी किसी राजपत्रित पद पर नियुक्ति के लिये स्वास्थ्य परीक्षा के लिये भेजा जाता है, तो स्वास्थ्य परीक्षा करने वाले अधिकारी या परिषद् (बोर्ड) को स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर अपने सामने करा लेना चाहिये। बाद में इन हस्ताक्षरों को कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सेवा-पुस्तिका में किये गये हस्ताक्षरों से मिलाना चाहिये। निरक्षर व्यक्ति के मामले में प्रमाण-पत्र पर अँगूठे तथा उँगलियों के निशान लेना पर्याप्त होगा। उस सरकारी कर्मचारी के मामले में, जिसके लिये सेवा-पुस्तिका नहीं रखी जाती, कार्यालय अध्यक्ष को स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र पर किये गये हस्ताक्षरों को अभ्यर्थी के अपने सामने लिये हुये हस्ताक्षरों से मिलाना चाहिये।

11. निम्नलिखित मामलों में स्वस्थता के प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी :

(1) भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति से;

(2) थामसन सिविल इंजीनियरिंग कालेज, रुड़की में तीसरे वर्ष के अन्त में इंजीनियर विद्यार्थियों से जिनको उनके उस कालेज में तीसरे वर्ष के अन्त में रुड़की के चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा करके स्वस्थ घोषित कर दिया गया हो;

(3) निम्न श्रेणी से प्रवर (superior) सेवा में पदोन्नति पाये हुए सरकारी कर्मचारी से;

(4) ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर नियुक्त हुए व्यक्ति से, जिनके लिये चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा निर्धारित है, यदि वे चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा किये जाने की तिथि के 6 महीने के भीतर नियुक्त कर दिये गये हों;

(5) भारतीय वन महाविद्यालय, देहरादून में उच्च वन सेवा के पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के लिए चुने जाने के पूर्व उन व्यक्तियों से जिनको चिकित्सा परिषद् ने स्वास्थ्य परीक्षा करके स्वस्थ घोषित कर दिया हो;

(6) उन व्यक्तियों से जिनको भारतीय वन रेंजर्स कालेज, देहरादून में वन रेंजर के पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के लिए चुने जाने के पूर्व किसी सिविल सर्जन ने परीक्षा करके स्वस्थ घोषित कर दिया हो;

(7) सार्वजनिक निर्माण-विभाग के उन इंजीनियर अधिकारियों से जिन्हें राजपत्रित पद पर अपनी पहली नियुक्ति पर चाहे वह पद स्थायी हो या अस्थायी, चिकित्सा परिषद्, लखनऊ ने परीक्षा करके स्वस्थ घोषित कर दिया हो, जब तक कि स्थायीकरण के समय किसी विशेष कारण से किसी अधिकारी से दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा कराने की अपेक्षा न की जाये;

(8) अक्षम व्यक्तियों से, जिनका परीक्षण शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की राज्य सेवा में प्रवेश दिलाने हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित 'विशेष मेडिकल बोर्ड' द्वारा किया गया हो तथा जिन्हें उपयुक्त पाया गया हो।

सहायक नियम 11 से सम्बन्धित राज्यपाल के आदेश

यदि किसी व्यक्ति से सरकारी सेवा में प्रवेश पाने के लिये एक बार स्वस्थता चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है और उसकी वास्तविक रूप से स्वास्थ्य परीक्षा की जाती है और उसे अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र की उपेक्षा करने हेतु अपने विवेकाधिकार का उपयोग करने की छूट नहीं रहती है।

[1][12. महिला अभ्यर्थियों को छोड़कर, स्वस्थता प्रमाण-पत्र उस जिले के सरकारी अस्पताल, जिसका वह निवासी है या जिसमें उसको नियुक्त होना है, के ज्येष्ठ अधीक्षक, मुख्य या प्रमुख अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, परन्तु सरकारी अस्पताल के ज्येष्ठ अधीक्षक, मुख्य या प्रमुख अधीक्षक बिना नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के लिखित अनुरोध के किसी अभ्यर्थी की परीक्षा नहीं करेगा या उसको प्रमाण-पत्र नहीं देगा। ऐसे सरकारी अस्पताल में जहाँ ज्येष्ठ अधीक्षक, मुख्य या प्रमुख अधीक्षक के पद पर नहीं है या पदधारी की नियुक्ति नहीं की गयी है, या वह लम्बे अवकाश पर है और ज्येष्ठ वेतनमान का अन्य अधिकारी प्रभारी है, वहाँ प्रमाण-पत्र पर उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

13. प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से किसी अभ्यर्थी की स्वास्थ्य परीक्षा के लिये अनुरोध करने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी, यथासम्भव, अपना समाधान करेगा कि अभ्यर्थी को पहले किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा स्थायी नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त समझ कर अस्वीकार तो नहीं कर दिया गया है और यदि अभ्यर्थी को इस प्रकार से अस्वीकार कर दिया गया हो तो नियुक्ति प्राधिकारी इस तथ्य को प्रमुख रूप से उस चिकित्सा अधिकारी की जानकारी में लायेगा, जिसे नियम 12 या नियम 17 के अधीन मामला परीक्षण के लिये निर्दिष्ट किया जाये और अस्वीकृति का कारण, यदि ज्ञात हो या अभिनिश्चित किया जा सके, बतायेगा।

14. [*निकाल दिया गया।*]

15. यदि किसी मामले में कोई अभ्यर्थी, यथास्थिति, ज्येष्ठ अधीक्षक, मुख्य या प्रमुख अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी या अधीक्षक (महिला) के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है, तो वह सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के माध्यम से मण्डलीय चिकित्सा असमर्थकारी (इनवैलिडिंग) परिषद् के पास अपील कर सकता है, और पश्चात्वर्ती अधिकारी अपील को परिषद् को अग्रसारित करेगा। परिषद् अपील की प्राप्ति पर उसके निस्तारण के लिये कोई दिनांक नियत करेगा और अभ्यर्थी को नियत समय और दिनांक की सूचना देगा। अभ्यर्थी अपने व्यय पर नियत दिनांक को परिषद् के समक्ष उपस्थित हो सकता है।

16. जब किसी सरकारी कर्मचारी में परीक्षा करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोई दोष पाया जाये, परन्तु यह दोष उस विशेष कार्यालय या विभाग में जिसमें वह सेवा कर रहा हो, नियुक्ति के लिये अयोग्यता न माना गया हो और वह आगे चलकर किसी अन्य कार्यालय या विभाग में स्थानान्तरित हो जाता है, जिसकी ड्यूटी भिन्न स्वरूप की हो, तो उसका स्थानान्तरण उस समय तक स्थायी नहीं माना जायेगा, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी ने नये कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष के लिखित अनुरोध पर यह प्रमाणित न कर दिया हो कि या तो पूर्व में पाया गया दोष दूर हो गया है या सरकारी कर्मचारी को सौंपी गई नई ड्यूटी के लिये यह दोष अयोग्यता नहीं है।

17. सरकारी सेवा में स्थायी नियुक्ति के लिये, किसी महिला अभ्यर्थी से किसी पुरुष चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा कराने की अपेक्षा नहीं की जायेगी। ऐसे मामले में नियुक्ति प्राधिकारी जिले के सरकारी महिला अस्पताल के ज्येष्ठ अधीक्षक, मुख्य या प्रमुख अधीक्षक (महिला) का प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में स्वीकार कर सकता है। ऐसे जिला महिला अस्पताल में जिसमें ज्येष्ठ अधीक्षक, मुख्य या प्रमुख अधीक्षक (महिला) के पद नहीं हैं या पदधारियों की नियुक्ति नहीं की गयी है या वे लम्बे अवकाश पर हैं, जिला अस्पताल के अधीक्षक (महिला) द्वारा प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर किया जायेगा।

टिप्पणी—[*निकाल दिया गया।*]]

---

1. अधिसूचना संख्या जी-1-152/दस-534 (15)-67, दिनांक 10 अप्रैल, 1990 द्वारा नियम 12, 13, 15, 16 एवं 17 प्रतिस्थापित किया गया तथा नियम 14 निकाल दिया गया